भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 568
गुरूवार, 2 दिसम्बर, 2021/11 अग्रहायण, 1943 (शक)

राष्ट्रीय रोजगार नीति

568. श्री देरेक ओब्राईनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नीति के दायरे में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किए जाएँगे, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की योजना नीति के माध्यम से स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कामगारों (गिग वर्कर्स) के अधिकारों से संबंधित चिंताओं का निपटान करने की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): वर्तमान में राष्ट्रीय रोजगार नीति का मसौदा बनाने हेतु कोई समिति नहीं है। देश में रोजगार एवं बेरोजगारी परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु, सरकार ने तीन सर्वेक्षण प्रारंभ किए हैं यथा (i) अखिल-भारतीय तिमाही संस्थान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस); (ii) प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण; तथा (iii) घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण। ये सर्वेक्षण संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों को शामिल करेंगे।

(घ) और (ङ): स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कामगारों (गिग वर्कर्स) के अधिकारों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार ने पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में विभिन्न प्रावधान पेश किए हैं। इन प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कामगारों (गिग वर्कर्स) के लिए जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि जैसी उपयुक्त योजनाएं तैयार करना तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता में यथा प्रदत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना शामिल है।

*****